न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न. 94/2020 दिनांक 12.2.2020

सरकार बनाम रामनिवास
निर्णय

पत्रावलीं पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रामसिंहपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम रामसिंह पुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 359/0.21है0 किस्म चाही ,367/0.02 है किस्म चाही, 368/0.23 किस्म जाव व चाही ,369/0.24 है 0 किस्म चाही व जाव मेंसे क्रमशः 0.10,0.02,0.12,0.12 है0पर रामनिवास पुत्र उदमी जाति गुर्जर निवासी रामसिंह पुरा तहसील कोटपूतली ने गैहूँ व सरसों की कास्त कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये । गैर सायल द्वारा मौखिक रूप से अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया तथा कोई जबाब व दस्तावेज पेश नहीं किये। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है । पटवारी हल्का रिपोर्ट एव गैर सायल द्वारा स्वंय की स्वीकारोक्ति के अनुसार गैर सायल का उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण सिद्व होता है।अतः अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायल रामनिवास पुत्र उदमी जाति गुर्जर निवासी रामसिंहपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम रामसिंहपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 359/0.21,367/0.02,368/0.23,369/0.24है0 ,किस्म चाही ,जाव में से 0.36 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा बोई गई फसल सरसों व गैहूँ को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 14.40 रू. का पचास गुणा 720रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू- अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते फसल

Scanned by CamScanner

निलामी बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई ... निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम ... हो ।

निर्णय आज दिनाक 12.2.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2020.02.14 15:37:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: